न्यायालय–जनपद न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी।
पीठासीन अधिकारी–शिव कुमार सिंह, (एच0जे0एस0)
I.D No-UP 5743
सिविल रिवीजन संख्या–80/2025
कम्प्यूटर पंजीकरण सं0–95/2025
(CNR UPLP 01009439-2025)
जशोदा बनाम लालजी आदि।

20.07.2026

1– निगरानीकर्ती/प्रतिवादिनी ने प्रश्नगत निगरानी, अन्तर्गत धारा 115 सी.पी.सी. न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डि0), कोर्ट नं0–4, लखीमपुर खीरी द्वारा प्रा0दी0वाद संख्या 412/2011, लालजी बनाम सत्ता आदि में पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 27.08.2025, जिसके माध्यम से विचारण न्यायालय ने निगरानीकर्ती/प्रतिवादिनी का प्रार्थना पत्र 64क1 निरस्त किया है, से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत की है।

2– दौरान सुनवाई निगरानी, निगरानीकर्ती की ओर से निगरानीम मेमो पर Not press किए जाने का पृष्ठांकन अंकित किया गया है। मेरे द्वारा आक्षेपित आदेश का सम्यक् परिशीलन किया गया, आक्षेपित आदेश मे किसी प्रकार की कोई त्रुटि या अवैधता प्रतीत नही होती है।

3– चूँकि निगरानीकर्ती, निगरानी पर बल नही देना चाहती है, जैसाकि उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमो पर पृष्ठांकन किया गया है। अतः प्रस्तुत निगरानी, निगरानीकर्ती की ओर से बल न दिए जाने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत निगरानी, निगरानीकर्ती की ओर से बल न दिए जाने के कारण निरस्त की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(शिव कुमार सिंह)
दिनांक–20.07.2026 जनपद न्यायाधीश,
लखीमपुर खीरी।

Digitally signed by SHIVA KUMAR SINGH
Date: 2026.07.16 16:55:26 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court